उप जिला कलक्टर हि

दिनांक	फर्द अहकाम
19.1.17	पत्रावली प्रस्तुत/पीठासीन अधिकारी के अवकाश अवकाश पर / ~~अन्य कार्य में व्यस्त~~ है । अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 11.2.17 को पेश हो । [signature]
11.2.17	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुई। तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक 2069 दि० 11.2.17 से अवगत कराया है कि नामा० सं० 2749 जिल्द दि० 25.10.16 के द्वारा बडिक्री पालना की जा चुकी है। पत्रावली फ़ैसल सुलह होकर नम्बर से कम की जावे। दाखिल दफ्तर की जावे। [signature] उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम हिण्डौन सिटी
वइजलास श्री कैलाश चन्द शर्मा, आर.ए.एस.

मूलशंकर तिवाडी उर्फ मुकेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, आयु 41 साल, जाति ब्राह्मण, निवासी– ढिंढोरा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली।

––वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र दोजी, आयु 82 साल, जाति ब्राह्मण, निवासी– ढिंढोरा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली।
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुक़दमा नं. 39 सन् 2014

यह मुकदमा आज इनफिसाल कतई रूबरू मुझ व हाजिरी मुझ व अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा, वादी की ओर से एवं श्री गोविन्द गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश होकर, हुक्म किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी मूलशंकर तिवाडी उर्फ मुकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादी को खाता संख्या 55 के खसरा नम्बर 3268 रकबा 1.28 है., 3405 रकबा 0.76 है., 3419 रकबा 0.21 है., 3420 रकबा 0.5100 है., 3421 रकबा 0.32 है., कुल किता 5 कुल रकबा 3.0800 है. स्थित ग्राम मिल्कीपुरा में स्व. रेवती पुत्र परसादी के हिस्सा 1/2 एवं खाता संख्या 502 खसरा नम्बर 3066 रकबा 0.6000 है., कुल किता 1 कुल रकबा 0.6000 है. स्थित ग्राम ढिंढोरा में स्व. रेवती पुत्र परसादी के हिस्सा 1/2 एवं खाता संख्या 503 खसरा नम्बर 1616 रकबा 0.2700 है., 1617 रकबा 0.5400 है., 1618 रकबा 0.8400 है., 1674 रकबा 0.0100 है., 1675 रकबा 0.0100 है., 1676/4206 रकबा 0.4900 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.1600 है. स्थित ग्राम ढिंढोरा में स्व. रेवती पुत्र परसादी के हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि इस आशय का अमल दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त घोषित आराजी में फसल काश्त कर दरोह कर लाभान्वित होने में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करे। खर्चा मुकदमा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

निज..................x..................मुबलिग..................x..................बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह. ....x..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....x.................. को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/3/16 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

1रु. कोर्ट फी COURT FEE INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

प्रार्थीगण	रूपया	पैसे	अप्रार्थीगण	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी	01	00	स्टाम्प अर्जी	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वजह सबूत	03	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महन्ताना वकील	–	–	महन्ताना वकील	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
योग	05	00	योग	02	00

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
हिण्डौन

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, हिण्डौन सिटी

मुकदमा नं. 39/14 तारीख रजु 07.07.14

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलाश चन्द शर्मा (आर.ए.एस.)

मूलशंकर तिवाडी उर्फ मुकेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, आयु 41 साल, जाति ब्राह्मण, निवासी– ढिंढोरा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली।

––वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र दोजी, आयु 82 साल, जाति ब्राह्मण, निवासी– ढिंढोरा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली।
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री मनोज कुमार शर्मा वकील वादी
2. श्री गोविन्द गुप्ता वकील प्रतिवादी

दिनांक – 12/3/16

निर्णय

वादी द्वारा जरिये वकील श्री मनोज कुमार शर्मा दावा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी हाल खसरा नम्बर 3268 रकबा 1.28 है., 3405 रकबा 0.76 है., 3419 रकबा 0.21 है., 3420 रकबा 0.51 है., 3421 रकबा 0.32 है. कुल किता 5 कुल रकबा 3.08 हैक्टेयर वाके ग्राम मिल्कीपुरा, तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 के पूर्वज रेवती का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा है जो दर्ज रिकार्ड है, आराजी हाल खसरा नम्बर 3066 रकबा 60 ऐयर वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 के पूर्वज रेवती का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा है जो दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 1616 रकबा 0.27 है., 1617 रकबा 0.54 है., 1618 रकबा 0.84 है., 1674 रकबा 0.01 है., 1675 रकबा 0.01 है., 1676/4206 रकबा 0.49 है., कुल किता 6 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 के पूर्वज रेवती का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का 3/4 हिस्सा दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 एक ही पूर्वज परसादी की संताने है जिनका सजरा खानदान इस प्रकार है–

परसादी
- दोजी
  - बाबूलाल प्र.नं. 1
    - मूलशंकर उर्फ मुकेश (वादी)
- भोरया (लाऔलाद फौत)
- रेवती (लाऔलाद फौत)

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
हिण्डौन

उपखंड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner